

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०)**

श्री हंस राज पुत्र श्री मान चन्द, निवासी गांव गोशाल, डा० बांहग, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता

श्री हंस राज पुत्र श्री मान चन्द, निवासी गांव गोशाल, डा० बांहग, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०) ने इस न्यायालय में अपनी जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे आवेदन पत्र, मय शपथ पत्र गुजारा है कि आवेदक का जन्म दिनांक 17-05-1989 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत शनाग के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहता है। इस बाबत मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू ग्राम पंचायत शनाग व क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि श्री हंस राज पुत्र श्री मान चन्द की जन्म तिथि 17-05-1989 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्री हंस राज पुत्र श्री मान चन्द की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-02-2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत शनाग के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 02-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०)**

श्रीमती प्रिया ठाकुर पुत्री श्री विजय ठाकुर, निवासी गांव गोजरा, डा० खखनाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती प्रिया ठाकुर पुत्री श्री विजय ठाकुर, निवासी गांव गोजरा, डा० खखनाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०) ने इस न्यायालय में अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण करने बारे आवेदन—पत्र, मय

शपथ—पत्र गुजारा है कि आवेदिका का जन्म दिनांक 20—02—1994 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत गोजरा के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहती है इस बाबत मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू ग्राम पंचायत गोजरा व क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि श्रीमती प्रिया ठाकुर पुत्री श्री विजय ठाकुर की जन्म तिथि 20—02—1994 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्रीमती प्रिया ठाकुर पुत्री रिगजिन दावा की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 26—02—2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत गोजरा के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 02—01—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०)।

---

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०)

श्रीमती तेन्जिन जोम्पा पुत्री श्री रिगजिन दावा, निवासी गांव व डा० जगतसुख, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती तेन्जिन जोम्पा पुत्री श्री रिगजिन दावा, निवासी गांव व डा० जगतसुख, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०) ने इस न्यायालय में अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण करने बारे आवेदन—पत्र, मय शपथ—पत्र गुजारा है कि आवेदिका का जन्म दिनांक 25—02—1996 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत जगतसुख के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहती है इस बाबत मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू ग्राम पंचायत जगतसुख व क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि तेन्जिन जोम्पा पुत्री श्री रिगजिन दावा की जन्म तिथि 25—02—1996 तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को तेन्जिन जोम्पा पुत्री रिगजिन दावा की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 26—02—2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत गोजरा के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 02—01—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हिं0प्र0)।

---